

4/4/23 आज पन्नावली मूल वाद के साथ
 पेश हुई। मूल वाद 09R-2, 09R-5 में खारिज
 किया गया है अतः प्रार्थना-पत्र 212 का कोई उपयोग
 नहीं है। प्रार्थना-पत्र 212 भी इसी स्तर पर खारिज
 किया जाता है। प्रार्थना-पत्र 212 नम्बर से कम
 ही। बाद प्रार्थना मूल वाद के साथ संलग्न है।



न्यायक कार्यालय
जयपुर (अपरा) पक्ष